

द्वाकन्वय की पूर्व अदायगी  
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के  
लिए अनुमति अनुमति-पत्र  
क. रायपुर-सौ.जो.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 सितम्बर 2001—भाद्र 20, शक 1923

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2001

### अधिसूचना

क्रमांक 572/परिवहन विभाग/2001.—राज्य शासन, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 108 के खण्ड (iii) के प्रयोजनों के लिये, पूर्व जारी समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए, निम्नलिखित व्याक्तियों को विनिर्दिष्ट करता है :—

1. शासकीय वाहनों के अग्रभाग पर लालवती लगाने हेतु :—

- (i) राज्यपाल
- (ii) मुख्यमंत्री
- (iii) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं उन्हीं न्यायाधिपति
- (iv) लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त छत्तीसगढ़
- (v) अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष विधान सभा
- (vi) छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री, राज्यमंत्री, उप मंत्री एवं संसदीय सचिव
- (vii) नेता प्रतिपक्ष
- (viii) मुख्य सचिव
- (ix) महाभिवक्ता
- (x) अध्यक्ष लोकनेता अन्यथा, राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं अध्यक्ष गजनव मण्डल
- (xi) अपर मुख्य सचिव

(xiii) प्रमुख सचिव, गृह

(xiv) पुलिस महानिदेशक

(xv) अंति विशिष्ट व्यक्तियों के एस्कोर्ट वाहन

2. शासकीय वाहनों के अग्रभाग पर पीली बत्ती लगाने हेतु :—

(i) जिला पंचायत	(उनके क्षेत्राधिकार में)
(ii) नगर निगम महापाल	(उनके क्षेत्राधिकार में)
(iii) विश्वविद्यालय के कुलपति	(उनके क्षेत्राधिकार में)
(iv) छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव तथा सचिव	(उनके क्षेत्राधिकार में)
(v) पुलिस मुख्यालय में पदस्थ अंति. पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस महानिरीक्षक	(उनके क्षेत्राधिकार में)
(vi) प्रधान मुख्य वन संरक्षक	(उनके क्षेत्राधिकार में)
(vii) संभाग आयुक्त	(उनके क्षेत्राधिकार में)
(viii) परिवहन आयुक्त एवं उपायुक्त परिवहन (प्रवर्तन)	(उनके क्षेत्राधिकार में)
(ix) पुलिस महानिरीक्षक रेंज	(उनके क्षेत्राधिकार में)
(x) जिला एवं सत्र न्यायाधीश	(उनके क्षेत्राधिकार में)
(xi) जिला दण्डाधिकारी	(उनके क्षेत्राधिकार में)
(xii) जिला पुलिस अधीक्षक	(उनके क्षेत्राधिकार में)
(xiii) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी	(उनके क्षेत्राधिकार में)
(xiv) अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर दण्डाधिकारी	(उनके क्षेत्राधिकार में)
(xv) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/नगर पुलिस अधीक्षक	(उनके क्षेत्राधिकार में)
(xvi) राज्य शिष्टाचार अधिकारी	(उनके क्षेत्राधिकार में)

छत्तीसगढ़ के गज्जणाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. विज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2001

क्रमांक 572/परिवहन विभाग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के घण्ड ('3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना सनसंख्या दिनांक 11-9-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. विज, उप-सचिव.

Raipur, the 11th September 2001

NOTIFICATION

No. 572/Tr. D./2001.—State Government in supersession of all previous notifications issued on this subject, hereby, specify the following persons for the purpose of clause (iii) of the proviso to the rule 108 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, namely :—

1. The use of red light on the top of Government vehicles :—

(i) Governor  
(ii) Chief Minister

- (iii) Chief Justice and all Justices of Chhattisgarh High Court
- (iv) Lokayukt and Up Lokayukt, Chhattisgarh
- (v) Speaker and Dy. Speaker Vidhan Sabha
- (vi) All Ministers, State Ministers, Dy. Ministers and Parliamentary Secretaries of Chhattisgarh
- (vii) Leader of the Opposition
- (viii) Chief Secretary
- (ix) Advocate General
- (x) Chairman, Public Service Commission, State Election Commissioner, Chairman, Revenue Board.
- (xi) Addl. Chief Secretary
- (xii) Principal Secretary, Home
- (xiii) Director General of Police
- (xiv) Escort Vehicles of the VIP's

**The use of Amber Light on the top of Government vehicles :—**

(i) Adhyaksh, District Panchayat	(within their jurisdiction)
(ii) Mayors Municipal Corporation	(within their jurisdiction)
(iii) Vice-Chancellors of University	(within their jurisdiction)
(iv) Principal Secretaries and Secretaries of Chhattisgarh Government	
(v) Addl. DGs and IGs of Police Headquarters	
(vi) Principal Chief Conservator of Forest	
(vii) Commissioners of the Divisions	(within their jurisdiction)
(viii) Transport Commissioner and Deputy Transport Commissioner	(Enforcement)
(ix) Inspector General of Police Ranges	(within their jurisdiction)
(x) District and Session Judge	(within their jurisdiction)
(xi) District Magistrate	(within their jurisdiction)
(xii) District Superintendent of Police	(within their jurisdiction)
(xiii) Chief Judicial Magistrates	(within their jurisdiction)
(xiv) Addl. District Magistrates/Sub-divisional Magistrates/City Magistrates.	(within their jurisdiction)
(xv) Addl. Superintendents of Police/SDO's Police/City Superintendents of Police.	(within their jurisdiction)
(xvi) State Protocol Officer	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
R. K. VII, Deputy Secretary.

